

मानव संसाधन विभाग (कर्मचारी लाभ प्रभाग)  
239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

स्टाफ परिपत्र क्र. 7117

18 मार्च, 2020

प्रति:

सभी शाखाएँ/कार्यालय

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम,  
1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त नोशनल सेवा  
का लाभ

1. भारतीय बैंक संघ ने अपने पत्र क्र. CIR/HR&IR/SKK/2017-18/4439 दिनांक 01-02-2018 के द्वारा 2017 के सिविल अपील संख्या 9371-9374 में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20 जुलाई, 2017 के निर्णय के मद्देनजर मामले की जांच की है (जो 2015 के एसएलपी संख्या © क्र. 5378-5381 - वी विजयन आदि बनाम एस&एमडी, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य आदि से उत्पन्न) तथा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (स्टेट बैंक को छोड़कर) को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कार्यान्वित करने की सलाह दी है, बशर्ते कि उनके संबंधित बोर्ड से मंजूरी प्राप्त हो चूंकि बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमन 1995 का विनियम 26 सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए समान रूप से लागू है. अतिरिक्त नोशनल सेवा का लाभ उन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के विनियम 26 के खंड (ए) एवं (बी) के अंतर्गत आते हैं.
2. भारतीय बैंक संघ द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा उन पेंशनभोगियों को, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के विनियम 26 के खंड (ए) एवं (बी) के अंतर्गत आते हैं, उन्हें उपरोक्त लाभ देने का निर्णय लिया गया है.
3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन विनियमन, 1995 के विनियम 26 के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए अपनी सेवा अर्हता प्राप्त करने के पात्र होगा (लेकिन पेंशन के किसी भी अन्य वर्ग के लिए नहीं) उनकी वास्तविक अवधि उनकी सेवा की अवधि का एक चौथाई या वास्तविक अवधि जिसके द्वारा भर्ती के समय उनकी आयु बैंक द्वारा सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा या पांच साल की अवधि से अधिक हो गई है, जो भी कम हो, यदि कर्मचारी की नियुक्ति सेवा या पद, जिसके लिए भी किया गया हो:-

ए) जिसके लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान, या तकनीकी अर्हता या वैज्ञानिक, तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में अनुभव अनिवार्य है और

बी) प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु के उम्मीदवारों को आम तौर पर भर्ती किया जाता है;

सी) जिसके लिए उम्मीदवार को उसके उच्चतर योग्यता एवं अनुभव के कारण बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु में छूट दी गई हो;

बशर्ते कि यह छूट किसी कर्मचारी को अनुमत नहीं की जाएगी यदि उसकी वास्तविक अर्हकारी सेवा, बैंक की सेवा की सेवा को छोड़ने के समय अधिकतम दस वर्ष से कम न हो।

बशर्ते कि यह छूट किसी कर्मचारी को अनुमत तभी की जाएगी जब उक्त सेवा या पद के संबंध में कोई भी भर्ती नियम में कोई विशिष्ट प्रावधान रखते हों कि सेवा या पद में इस विनियम का लाभ निहित है।

बशर्ते कि किसी भी सेवा या पद के संबंध में कोई भी भर्ती नियम, जिसमें इस विनियम का लाभ निहित है, वह नियम केंद्र सरकार की मंजूरी के अधीन किया जाएगा।

4. वे सेवानिवृत्त, जो उपर्युक्त विनियम के तहत कवर किए गए हैं, उनसे एतदद्वारा अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक ए) में अपने आवेदन सीधे सहायक महाप्रबंधक (मासं)-कार्मिक लाभ प्रभाग (ईबीडी), केंद्रीय कार्यालय को अलग से लिफाफे में "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन विनियमन, 1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा के लाभों" सहित निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करें:
  - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की प्रति
  - यूनियन बैंक द्वारा जारी किए गए भर्ती विज्ञापन की प्रति (अखबार की कटिंग) जिसके द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे
  - नियुक्ति पत्र, रिपोर्टिंग और कार्यमुक्त पत्रों सहित पिछले नौकरी के सभी अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियां।
5. उपर्युक्त विनियमन के तहत कवर किए गए सेवानिवृत्त, जो अतिरिक्त नोशनल सेवा के लाभों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनसे अपेक्षित है कि वे इस परिपत्र में निहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अलावा अन्य कोई भी प्रारूप / आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
6. सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत तथा अधूरी जानकारी से आवेदन अवैध हो जाएगा।
7. सभी शाखा प्रबंधकों / विभागीय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे शाखा / कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इस परिपत्र को प्रदर्शित करें। इसके अलावा, विस्तृत कवरेज देने के लिए, परिपत्र की प्रतिलिपि स्थानीय सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी फ्रेडरेशन / एशोसिएशन को भेजी जानी चाहिए। परिपत्र की एक प्रति बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट: : [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) पर भी अपलोड की गई है।
8. सभी स्टाफ सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है ताकि सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिल सके।
9. पेंशन विकल्प योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी और स्पष्टीकरण / सहायता के लिए, ईबीडी, केंद्रीय कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

श्री गणपत पटेल, प्रबंधक (पेंशन) : 022-22896246/IP 116246


श्री कैफी गोयल, प्रबंधक (पेंशन) IP 116249

ईमेल आईडी: [ganpat.patel@unionbankofindia.com](mailto:ganpat.patel@unionbankofindia.com); [kaiffy.goyal@unionbankofindia.com](mailto:kaiffy.goyal@unionbankofindia.com)

श्री संजीवकुमार पिल्लामारी

मुख्य प्रबंधक : 022-22896236 / IP: 116236

ई-मेल आईडी : [ebd.co@unionbankofindia.com](mailto:ebd.co@unionbankofindia.com);

  
महाप्रबंधक (मासं)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त नोशनल सेवा लाभ के लिए आवेदन

आवेदक का पासपोर्ट  
आकार का फोटो

प्रति:

महाप्रबंधक (मासं)

मानव संसाधन विभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केंद्रीय कार्यालय

मुंबई- 400 021

स्टाफ परिपत्र क्र. \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के क्रम में, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्वोक्त विनियम 26 के दायरे के अंतर्गत आता हूँ क्योंकि \_\_\_\_\_ को मैं "सूपरैन्ड्यूलेशन" (तथा वीआरएस/विनियम 29 के तहत नहीं) पर सेवानिवृत्त हुआ था.

मैं, \_\_\_\_\_, अधोहस्ताक्षरी यह घोषणा करता हूँ कि दिनांक \_\_\_\_\_ (यूनियन बैंक में कार्यग्रहण की तिथि) को विशेषज्ञ अधिकारी (पद: \_\_\_\_\_) के तौर पर मुझे भर्ती किया गया था तथा उस समय अधिकारी संवर्ग में मुझे अधिकतम \_\_\_\_\_ वर्ष की छूट दी गई थी.

मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर, मैं आपसे मेरी पेंशन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त नोशनल सेवा के लाभों का विस्तार करने और उसपर परिणामी बकाया का पुनर्गणना करने का अनुरोध करता हूँ. संलग्नक (अनुबंध- II) में आवश्यक जानकारी दी गई है.

मैं अपने अभ्यावेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर रहा हूँ:

- बैंक द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की प्रति
- भर्ती का विज्ञापन (समाचार पत्र की कटिंग) जिसके माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे.
- नियुक्ति पत्र, रिपोर्टिंग और कार्यमुक्त पत्रों के साथ सभी पिछली नौकरी के सभी अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियां.

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम : .....  
पीएफ़ खाता संख्या. : .....  
वर्तमान आवासीय पता : .....  
(मोबाइल नंबर के साथ) : .....

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 26 के तहत अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा के लाभों के साथ पेंशन एवं कम्प्यूटेशन आदि की गणना हेतु ब्यौरा/जानकारी.**

1. पूरा नाम (पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी) : \_\_\_\_\_
2. भविष्य निधि क्र. : \_\_\_\_\_ पीपीओ क्र. \_\_\_\_\_
3. पेंशन खाता क्र. एवं शाखा : \_\_\_\_\_
4. जन्म दिनांक : \_\_\_\_\_
5. कार्यग्रहण तिथि : \_\_\_\_\_
6. कार्यग्रहण के समय पद : \_\_\_\_\_
7. शाखा/विभाग, जहां अंतिम कार्य किया हो : \_\_\_\_\_
8. क्षेत्र का नाम : \_\_\_\_\_
9. विशेषज्ञता एवं अन्य योग्यता (यूनियन बैंक में कार्यग्रहण के समय) : \_\_\_\_\_
10. सेवानिवृत्ति की तारीख : \_\_\_\_\_
11. विशेषज्ञ क्षेत्र में अनुभवों का विवरण (यूनियन बैंक में शामिल होने से पहले) :

| संस्था का नाम | पद एवं वेतनमान | सेवा की अवधि (वर्ष एवं माह) |
|---------------|----------------|-----------------------------|
|               |                |                             |
|               |                |                             |
|               |                |                             |

12. पति/पत्नी का नाम (परिवार पेंशनभोगी के मामले में): \_\_\_\_\_
13. पति/पत्नी का जन्म तिथि : \_\_\_\_\_
14. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने विनियम 29 या वीआरएस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त नहीं ली है.
15. मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैंने अपनी किसी भी पिछली संस्था/कंपनी से किसी भी प्रकार का पेंशन लाभों को नहीं लिया है.
16. मैंने यूनियन बैंक के लावा अपनी किसी भी पिछली संस्था/कंपनी से उम्र में छूट/ लाभों को नहीं लिया है.
17. मैं समझता हूँ कि यदि बाद में कोई गलत जानकारी मिलती है, तो भविष्य में मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी लाभ से स्वचालित रूप से बाहर कर दिया जाएगा.

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही एवं सत्य है और मैं बैंक द्वारा आवश्यक होने पर कोई अन्य जानकारी देने के लिए तैयार हूँ.

\_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

संपर्क क्र. \_\_\_\_\_ / ईमेल आईडी: \_\_\_\_\_

Staff Circular No. 7117

March 18, 2020

TO:

ALL BRANCHES / OFFICES

BENEFIT OF ADDITIONAL NOTIONAL SERVICE UNDER  
REGULATION 26 OF UNION BANK OF INDIA  
(EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS 1995

1. IBA vide letter No.CIR/HR&IR/SKK/2017-18/4439 dated 01-02-2018 has examined the matter in view of Supreme court judgment dated 20th July, 2017 in Civil Appeal No. 9371-9374 of 2017 (arising out of SLP © No(s) 5378-5381 of 2015 - V Vijayan etc v/s C&MD, Bank of Baroda & Ors etc) and advised all Public Sector Banks (except State Bank of India) to implement the judgement of Hon'ble Supreme Court, subject to approval from their respective Board, as Regulation 26 of Bank Employees Pension Regulations 1995, is uniformly applicable to all Public Sector Banks. *The benefit of additional notional service will have to be given to all those employees who fall within the ambit of clause (a) & (b) of Regulation 26 of the Union Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995.*
2. In view of the guidelines given by IBA, it has been decided by the Bank to extend the above benefit to the pensioners, who fall within the ambit of clause (a) & (b) of Regulation 26 of the Union Bank of India Employees Pension Regulations, 1995.
3. As per the provisions of Regulation 26 of Union Bank of India Employees' Pension Regulations 1995, an employee shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension) the actual period not exceeding one fourth of the length of his service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeded the upper age limit specified by the Bank for direct recruitment or a period of five years, whichever is less, if the service or post to which the employee is appointed is one :-
  - a) for which post-graduate research, or specialist qualification or experience in scientific, technological or professional fields, is essential; and
  - b) to which candidates of age exceeding the upper age limit specified for direct recruitment are normally recruited;
  - c) for which the candidate was given age relaxation over and above the maximum age limit fixed by the Bank on account of his possessing higher qualifications or experience;

Provided that this concession shall not be admissible to an employee unless his actual qualifying service, at the time he quits the service in the Bank is not less than ten years.



Provided further that this concession shall be admissible if the recruitment rules in respect of the said service or post contain specific provision that the service or post is one which carries benefits of this Regulation.

Provided also that the recruitment rules in respect of any service or post, which carries the benefit of this Regulation, shall be made with the approval of the Central Government.

4. The retirees, who are covered under above Regulation, are hereby requested to submit the application in the enclosed format (Annexure I & II) directly to AGM((HR) - Employee Benefits Division (EBD), Central Office, Mumbai in a separate cover superscribing "Benefit of Additional Notional Service under Regulation 26 of Union Bank of India (Employees') Pension Regulations 1995" along with the following documents:
  - Copy of Appointment letter issued by Union Bank of India
  - Copy of Advertisement of Recruitment (newspaper cutting) issued by Union Bank vide which applications were invited
  - Copies of all previous job experience certificates along with appointment letter, reporting and relieving letters.
5. Retirees, who are covered under above Regulation, should apply only in the prescribed format as detailed in this Circular. Any format/application other than the one enclosed with this Circular will not be accepted. Please note that any communication / letter or any other correspondence in any other form, submitted prior to the date of this Circular shall not be entertained by the Bank as valid option.
6. Any incorrect and incomplete information furnished by the retirees will render the application invalid.
7. All the Branch Managers/Departmental Heads are requested to display the circular on the Notice Board of the Branch / Office. Further, in order to give wide coverage, copy of the circular be sent to the local retired employees' /officers' Federation/Association. A copy of the circular is also uploaded on the bank's corporate website: [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)
8. The application forms can be downloaded from Bank's corporate website: [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)
9. Co-operation of all staff members is solicited so that all eligible retirees get the benefit of the Scheme.
10. For any further clarification/assistance in respect of implementation of the pension option scheme, the following officials of EBD, Central Office may be contacted.

Shri Ganpat Patel, Manager (Pension) : 022-22896246/IP 116246  
Shri Kaiffy Goyal, Manager (Pension) IP 116249  
Email ID: [ganpat.patel@unionbankofindia.com](mailto:ganpat.patel@unionbankofindia.com); [kaiffy.goyal@unionbankofindia.com](mailto:kaiffy.goyal@unionbankofindia.com)

Shri Sanjeevkumar Pillamari  
Chief Manager : 022-22896236 / IP: 116236  
e-mail ID : [ebd.co@unionbankofindia.com](mailto:ebd.co@unionbankofindia.com);

  
~~GENERAL MANAGER (HR)~~





**APPLICATION FOR BENEFIT OF ADDITIONAL NOTIONAL SERVICE UNDER  
REGULATION 26 OF THE UNION BANK OF INDIA (EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS  
1995**

To:  
The General Manager (HR)  
Human Resources Department  
Union Bank of India  
Central Office  
Mumbai - 400 021

Passport size  
Photograph of the  
applicant

In response to Staff Circular No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ I hereby declare that I am covered under the ambit of the aforesaid Regulation 26 as I retired on "superannuation" (and not under VRS / Regulation 29) on \_\_\_\_\_

I, \_\_\_\_\_, the undersigned hereby declare that I was recruited as Specialist Officer (Design: \_\_\_\_\_) on \_\_\_\_\_ (date of joining in Union Bank of India) and I was given a relaxation of \_\_\_\_\_ years in the maximum age of Officer cadre at that time.

Based on the details furnished by me, I request you to recalculate my pension and extend the benefit of additional Notional Service under Regulation 26 of Union Bank of India (Employees') Pension Regulations 1995 and the resultant arrears thereon. Necessary information is provided in the enclosure (Annexure-II).

I enclose the following documents in support of my representation:

- Copy of Appointment letter issued by the Bank
- Advertisement of Recruitment (newspaper cutting) vide which applications were invited
- Copies of all previous job experience certificates along with appointment letter, reporting and relieving letters.

.....  
(Signature)

Name in full : .....  
P.F. Account No. : .....  
Present Residential Address : .....  
(with mobile No.) : .....  
.....

**DETAILS / INFORMATION FOR CALCULATION OF PENSION AND COMMUTATION ETC.  
WITH THE BENEFIT OF ADDITIONAL NOTIONAL SERVICE UNDER  
REGULATION 26 OF THE UNION BANK OF INDIA (EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS  
1995**

1. Name in full (Pensioner/Family pensioner) : \_\_\_\_\_
2. PF No. : \_\_\_\_\_ PPO No. \_\_\_\_\_
3. Pension A/c No. & Branch : \_\_\_\_\_
4. Date of Birth : \_\_\_\_\_
5. Date of Joining : \_\_\_\_\_
6. Designation at the time of joining : \_\_\_\_\_
7. Branch/Department last worked : \_\_\_\_\_
8. Name of the Region : \_\_\_\_\_
9. Specialisation & Other Qualifications  
(at the time of joining Union Bank) : \_\_\_\_\_
10. Date of Retirement on Superannuation : \_\_\_\_\_
11. Details of Experience in Specialised Field  
(prior to joining Union Bank of India) :

| Name of the Organization | Designation & Scale | Length of Service (Years & Months) |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                          |                     |                                    |
|                          |                     |                                    |
|                          |                     |                                    |

12. Name of Spouse (In case not a family pensioner: \_\_\_\_\_
13. Date of Birth of Spouse : \_\_\_\_\_
14. I undertake that I have not taken Voluntary Retirement under Regulation 29 OR under VRS Scheme.
15. I hereby declare that am not getting any Pensionary Benefits from any previous organization / company.
16. I have not taken any age relaxation/benefit from any of my previous organization / company other than Union Bank of India.
17. I undertake that any incorrect information, if found later, shall automatically make me permanently debarred from any benefit from Union Bank of India, in future.

I hereby declare that information furnished above is true to the best of my knowledge and I shall give any other information as and when required by the Bank.

\_\_\_\_\_  
Signature

Place:

Date :

Contact No. \_\_\_\_\_ / email ID: \_\_\_\_\_